दिनांक 01.07.2018

सेवा में,

भ्रष्टाचार विरूद्ध जागृति अभियान
001 मारिया अपार्टमेंट, प्लॉट नं. ई-78/3,
सेक्टर 9, ऐरोली, नवी मुंबई - 400708.
मोब. 99209-13897

महोदय,

मैं विक्रम पुत्र स्व. महावीर प्रसाद शर्मा पताः शिवलोक कॉलोनी, शिकारपुर, जिला बुलंदशहर, उ.प्र. (मोब. 9410848282) हूँ|

बुलंदशहर की अदालत में मैंने देखा कि, कई बाहरी/निजी व्यक्ति जो अदालत के स्थाई कर्मचारी नहीं है वे न्यायाधीश के बगल में बैठकर कई गोपनीय व कीमती दस्तावेज़ों के साथ-साथ रोजनामाचा में भी अपने हाथों से लिखापढ़ी का काम कर रहे हैं| अदालत में कुछ दबंग किस्म के 23 ऐसे कर्मचारी भी हैं जो एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिसकी वजह से यह पूरा परिवार अदालत परिसर में एकजुट होकर दबंगई, गुंडागर्दी व भ्रष्टाचार खुले आम करता चला आ रहा है, हर हुए भ्रष्टाचार का दस्तावेज़ी सबूत भी मौजूद है| मेरे द्वारा इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाये जाने पर इन सभी 'एक ही खानदान के कर्मचारियों' द्वारा एकजुट होकर मेरे खिलाफ शिकायतों पर शिकायतें तो की ही गई साथ ही खुलेआम अदालत परिसर में ही मेरे साथ कई बार मारपीट भी की गई जिसकी वीडियो क्लिप भी मेरे पास मौजूद है, यह दबंग यहीं पर ही नहीं रूके बल्कि इन लोगों ने न्यायाधीश के सामने भी मेरे साथ मारपीट की है| इन सबके खिलाफ जब मैंने खुलासा करते हुये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सिविल रिट जुलाई २०१७ में दाखिल की जिसकी सत्यता को साबित करने के लिये एक बाहरी/निजी व्यक्ति दिनेश कुमार का शपथ-पत्र भी साथ में लगाया तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा शिकायतों के निस्तारण करने के लिये बुलंदशहर की अदालत को निर्देश दिये गये मगर निर्देश पर अमल करने की बजाये १३.०९.२०१७ को हम लोगों को ही terminate कर दिया गया| आखिर मेरे द्वारा कई शिकायतें किये जाने के बाद जाकर

Vsharma

Scanned by CamScanner

१५.०१.२०१८ को इलाहाबाद हाई कोर्ट में तारीख लगी| मगर हम लोगों के पारिवारिक भरण-पोषण पर ध्यान देने की कोशिश नहीं की गई बल्कि हमें फुटपाथ पर भिखारियों के समान खड़ा कर दिया गया| उन बाहरी/निजी व्यक्तियों को जिन्हें छापा मार कर पकड़ा गया था और terminate किया गया था, उन्हें फिर से अदालत में बहाल कर दिया गया| जिसका मतलब साफ है कि मनमर्जी से बुलंदशहर की अदालत में संवैधानिक नियमों की अवहेलना अदालत में कार्यरत एक ही खानदान के दबंगों की सरपरस्ती में लगातार जारी है| कौन इसका जिम्मेदार है यह जाँच का विषय है|

अगर सच्चाई के लिये आवाज़ उठाना गुनाह है तो मुझे बताया जाये ताकि मैं गुलाम की जिन्दगी जीने की अपेक्षा मौत का वरण कर लूँ अन्यथा मुझे व मेरे परिवार को आत्मसम्मान से जीने के लिये आप सब व देशवासियों के सहयोग की आवश्यकता है जिससे मैं देशभक्त सैनिक के रूप में सच्चाई को सामने लाने के लिये अपनी कुर्बानी दे सकूँ|

आशा है, आपका संगठन बेहतरीन तरीके से न्यायिक गरिमा को बनाये रखते हुये सभी संबंधित विभागों, माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिलाधिकारियों आदि तक मेरी आवाज अवश्य पहुँचायेगा जिससे अदालती परिसर इन बाहरी/निजी व्यक्तियों व एक ही खानदान के दबंगों से खाली हो सके|

मैं ऊपर लिखी बातें अपने पूरे होशो-हवास में व बिना किसी दबाव के लिख रहा हूँ और ऊपर लिखी बातों को सत्यापित करता हूँ|

विक्रम शर्मा
मोब. 94108-48282

Scanned by CamScanner